बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 345 / 2024

ऑनलाईन आवेदन एवं आवंटन के आधार पर डी.एल.एड. (फेस–टू–फेस) प्रशिक्षण सत्र 2023–25 में नामांकित विद्यार्थियों के आवेदन शुल्क की राशि प्रशिक्षण संस्थान को हस्तांतरित करने के संदर्भ में संबंधित संस्थान के प्राचार्यों के लिए आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डी.एल.एड. (फेस–टू–फेस) प्रशिक्षण सत्र 2023–25 में नामांकन के लिए समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या– पी०आर० 387 की कंडिका 18 में वर्णित प्रावधान के अनुसार ऑनलाईन आवेदन एवं आवंटन के आधार पर डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित विद्यार्थियों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आवेदन के समय लिए गए आवेदन शुल्क में से 200 / – रू० प्रति विद्यार्थी की दर से संबंधित संस्थान को हस्तांतरित किया जाना है।

2. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान के बैंक खाता का विवरण समिति कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतएव संस्थानों के प्राचार्य समिति की वेबसाईट (पोर्टल) **https://secondary.biharboardonline.com** पर अपने प्रशिक्षण संस्थान के बैंक खाता का विवरण पोर्टल पर **दिनांक 27.09.2024 से 09.10.2024** तक निम्न रूप से भरें :–

(i) प्रशिक्षण संस्थान का बैंक खाता संख्या
(ii) प्रशिक्षण संस्थान के बैंक खाता धारक का नाम
(iii) बैंक एवं बैंक शाखा का नाम
(iv) बैंक का IFSC CODE (Zero) एवं 'O' Letter को पूर्णरूपेण सही से अंकित किया जाए)

3. <u>प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समिति पोर्टल पर बैंक खाता भरने की प्रक्रिया :–</u>

(i) समिति पोर्टल **https://secondary.biharboardonline.com** पर Login करें।
(ii) Home Page पर उपलब्ध Vividh Exam पर उपलब्ध लिंक D.El.Ed./ D.P.ED/ODL/Special EXAM पर क्लिक करें। तत्पश्चात् "Profile" Tab पर क्लिक करें।
(iii) College अपने यूजर आई०डी० तथा पासवर्ड डालकर लॉग–इन बटन पर Click करें।
(iv) College अपने College Code एवं नाम Verify कर लें। अपने प्राचार्य का नाम, मोबाईल नम्बर, इमेल आई०डी० तथा बैंक की विवरणी भर लें।
(v) विवरण को भरने के उपरांत "Get OTP on Mobile" पर Click करें।
(vi) समिति पोर्टल पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP को भरें।
(vii) OTP भरने के बाद Verify Button पर Click करें।
(viii) Update पर Click करें।

<u>महत्वपूर्ण :– कतिपय प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा सत्र 2022–24 के लिए राशि से संबंधित बैंक खाता आदि का विवरण समिति के पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण अपलोड कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उन संस्थानों को समिति स्तर से राशि भुगतान की कार्रवाई बाधित हो रही है। अतएव सभी प्राचार्य एवं उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अपने महाविद्यालय के बैंक का विवरण सावधानी पूर्वक भरेंगे। बैंक का विवरण गलत भरने पर यदि भुगतान की राशि दूसरे बैंक अकाउन्ट में चली जाती है तो इसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिये जवाबदेह नहीं होगी।</u>

परीक्षा नियंत्रक (विविध)